6/3/18 वकील वादी उपस्थित नहीं — न ही वादी स्वयं उपस्थित है। अतः वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब, तकमील जाब्ता, दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner